

मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों(अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए एयर होस्टेस एवं फ्लाईट स्वीवर्ड प्रशिक्षण के लिये संस्थाओं के चयन हेतु शर्तें

- (1) संस्था "कम्पनी एक्ट" 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिये ।
- (2) संस्था की मध्य प्रदेश में कम से कम दो या दो से अधिक स्थानों में प्रशिक्षण इकाई होना आवश्यक है
- (3) प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एवियेशन (एयर होस्टेस एवं फ्लाईट स्टीवर्ड) हॉस्पिटैलिटी एवं ट्रेवल एवं टूरिज्म का संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है ।
- (4) प्रशिक्षण संस्था के पास कम से कम पांच वर्ष का प्रशिक्षण दिये जाने का अनुभव हो ।
- (5) प्रशिक्षण संस्था का पेन नम्बर तथा आयकर दाता होना आवश्यक है ।
- (6) होटल एवं Tourism उद्योग,में उपयोग होने वाला साफ्टवेयर Fidelio और Galileo प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिये ।
- (7) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में "इनफ्लाइट प्रशिक्षण" अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिये ।
- (8) प्रशिक्षण संस्था की "इनफ्लाइट प्रशिक्षण" किसी भी Domestic Airline से प्रमाणित हो ।
- (9) प्रशिक्षण संस्था का "प्लेसमेंट रिकार्ड" उत्कृष्ट होना चाहिये । नामवार,वर्षवार,संस्थावार,पदवार एवं आवश्यक विवरण तीन वर्षों का दिया जाए ।
- (10) प्रशिक्षण संस्था का पाठ्यक्रम केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय सक्षम वैधानिक संस्था(Statutory body) द्वारा प्रमाणित हो अथवा संस्था ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करती हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो
(सप्रमाण विवरण दिया जाए)
- (11) प्रशिक्षण संस्था का Affiliation जिस Awarding Board/ Institution से हो, उसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।
- (12) प्रशिक्षण शुल्क (हॉस्टल,भोजन एवं किताबों एवं अन्य शुल्क) एवं सुविधाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए ।
- (14) प्रशिक्षण संस्था की अन्य विषिष्टताओं जैसे-आई.एस.ओ इत्यादि का विवरण दिया जाए ।
- (15) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु एयर होस्टेस एवं फ्लाईट स्वीवर्ड के पद पर नियुक्ति हेतु एयरलाईंस द्वारा निर्धारित अर्हताएं एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का तुलनात्मक विवरण दिया जाए ।